राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–950/2007

राजेन्द्र कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला कलक्टर, भू अभिलेख, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.07.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अधिवक्ता।
समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई आदेश दिनांक 10.11.1994 के द्वारा हुई थी, जो मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में हुई थी। नियुक्ति के पश्चात आपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.06.1996 के द्वारा पटवार प्रशिक्षण शाला, टोंक में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। इसके उपरांत विभागीय पटवारी परीक्षा का परिणाम दिनांक 25.06.1997 को आया, जिसमें अपीलार्थी उत्तीर्ण रहा। आलौच्य आदेश दिनांक 24.12.2003 के द्वारा अपीलार्थी को पटवारी परीक्षा दिनांक 25.06. 1997 को उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 25.06.2006 से देय होना माना गया। इसके पश्चात आलौच्य आदेश दिनांक 09.11.2006 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 25.06.2006 से स्वीकृत किया गया था।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमानुसार मृतक राज्य कर्मचारी के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में ऐसे कर्मचारियों को वेतन नियुक्ति की दिनांक नियमित नियुक्ति माने जाने का प्रावधान है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया।
5. माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी.(राज.) 1999 (1) पेज 258) के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है।

6. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण गोविन्द सिंह बनाम राजस्थान राज्य राजस्थान पेज न. 677 में यह माना है कि अनुग्रहित नियुक्ति धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में टाइप परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है।
7. पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति की दिनांक से न दिया जाकर, पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दिया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 01.03.2000 के आधार पर अपीलार्थी की नियुक्ति प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही नियमित नियुक्ति मानी जानी चाहिए।
8. अतः उपरोक्त जारी परिपत्र दिनांक 01.03.2000 एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। आलौच्य आदेश दिनांक 09.11.2006 (अनुलग्नक–5) अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की तिथि 10.11.1994 से सेवा की गणना करते हुए अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये एवं पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावे। साथ ही अपीलार्थी बकाया वेतन राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। इस आदेश की पालना 3 माह में की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)